उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 1237 /सेक–2–पांच–18–4(23)/2018
लखनऊ :: दिनांक :: 26 अप्रैल, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–749/सेक–2–पांच–18–4(23)/2018, दिनांक 06.04.2018 द्वारा डा0 दिनेश कुमार सिंह (वरिष्ठता क्रमांक–6790), मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती को स्थानान्तरित करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती के पद पर तैनात किया गया है।

2– सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–749/सेक–2–पांच–18–4(23)/2018, दिनांक 06.04.2018 द्वारा डा0 दिनेश कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती का वरिष्ठ परामर्शदाता, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती के पद पर किया गया स्थानान्तरण संशोधित करते हुए डा0 सिंह को वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय, बहराइच के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

4– डा0 दिनेश कुमार सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

Niraj Shukla
डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या– 1237 (1)/सेक–2–पॉच–18, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/बस्ती मण्डल।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बहराइच।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रावस्ती/बस्ती/बहराइच।
10. संबंधित चिकित्साधिकारी।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश सहित कि वे उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 1226 / सेक–2–पांच–2018
लखनऊ :: दिनांक :: 26 अप्रैल, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड की चिकित्साधिकारी डा0 गीता अग्रवाल (वरिष्ठता कमांक–9248), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त निदेशक, राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, लखनऊ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2– डा0 गीता अग्रवाल को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या– 1226 (1)/सेक–2–पॉच–18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध सहित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड़ कराने का कष्ट करें।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
9. संबंधित चिकित्साधिकारी।
10. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से कि वे संबंधित चिकित्सकों का प्रारूप–2 संशोधित करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या:– 1224 /सेक–2–पांच–18–5(190)/2015
लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद जौनपुर में वर्ष 2010–11 में एन0आर0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत डा0 आनन्द कुमार सिंह (वरिष्ठता कमांक–9059क), तत्कालीन उप मुख्य चिकित्साधिकारी/एस0एम0ओ0 भण्डार, जौनपुर सम्प्रति निलम्बित द्वारा डा0 ओम प्रकाश ओझा, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं श्री राजेश शुक्ला, मेसर्स जे0एम0 फार्मास्युटिकल्स, कानपुर के साथ आपराधिक षड़यंत्र करते हुए दवाओं/आई0यू0डी0 किटों की खरीद पर लगभग रू0 7.29 लाख की सदोष हानि पहुंचाने आदि आरोपों में उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4261/सेक–2–पांच–15–5(190)/2015, दिनांक 17.12.2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। डा0 आनन्द कुमार सिंह द्वारा कारित शासकीय क्षति, गम्भीर कदाचार आदि हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4262/सेक–2–पांच–15–5(190)/2015, दिनांक 17.12.2015 द्वारा निलम्बित कर कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी से सम्बद्ध किया गया है।

2– डा0 आनन्द कुमार सिंह, तत्कालीन उप मुख्य चिकित्साधिकारी/एस0एम0ओ0 भण्डार, जौनपुर सम्प्रति निलम्बित का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4262/सेक–2–पांच–15–5(190)/2015, दिनांक 17.12.2015 द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए उन्हें पं0 कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय, चन्दौली में परामर्शदाता के पद पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

3– डा0 आनन्द कुमार सिंह के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4261/सेक–2–पांच–15–5(190)/2015, दिनांक 17.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान रहेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

वी0हेकाली झिमोमी
सचिव।

पृ0सं0– 1224 (1)/सेक–2–पॉच–18, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4– जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर।
6– मुख्य चिकित्स अधीक्षक, पं0 कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय, चन्दौली।
7– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर/वाराणसी/चन्दौली।
8– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

9— प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी--2 संशोधित करने का कष्ट करें।

10— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।